

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -72/2021-22

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

राजेन्द्र कुमार महतो बनाम भरत महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

राजेन्द्र कुमार महतो पिता-स्व० कालेश्वर महतो,
ग्राम-गोड़ाडीह, पो०-गोड़ाडीह, थाना-सिल्ली,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

भरत महतो पिता-स्व० मधु महतो, ग्राम-नीमडीह,
पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची,
झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री संजय कुमार पाण्डेय।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-09/10/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता भरत महतो पिता-स्व० मधु महतो, ग्राम-नीमडीह, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सोनाहातु	सोनाहातु/58	203	1481	32 डी० चौहद्दी:- उ०-कालो कुम्हार वगैरह। द०-उपेन्द्र नाथ महतो। पू०-सीमाना रांगाडीह। प०-रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

२

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-944(ii) दिनांक-01/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत मनशा वो गनपत पे०-हेला कॉम कुम्हार के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध खरिद-बिक्री का है।
- (3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम हराधन महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-2.18½ एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015-16 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। तथा खरिदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष बचती है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान निर्माण हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता राजेन्द्र कुमार महतो पिता-स्व० कालेश्वर महतो, ग्राम-गोड़ाडीह, पो०-गोड़ाडीह, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि, को क्रेता भरत महतो पिता-स्व० मधु महतो, ग्राम-नीमडीह, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-26/10/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता राजेन्द्र कुमार महतो पिता-स्व० कालेश्वर महतो, ग्राम-गोड़ाडीह, पो०-गोड़ाडीह, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि, को क्रेता भरत महतो पिता-स्व० मधु महतो, ग्राम-नीमडीह, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-कृषि, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर


२


निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
सोनाहातु	सोनाहातु/58	203	1481	32 डी० चौहददी:- उ०-कालो कुम्हार वगैरह। द०-उपेन्द्र नाथ महतो। पू०-सीमाना रांगाडीह। प०-रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।